



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-दतिया

नज - 523 - II-16

दीप्ती पति श्री जितेन्द्र यादव

निवासी-ग्राम हिनोतिया जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

- 1- वीर सिंह पुत्र श्री दयाराम यादव
- 2- तुलसीदास पुत्र श्री दयाराम यादव
निवासीगण - ग्राम चिरोल तहसील व जिला -
दतिया (म.प्र.)
- 3- रति वेवा श्री रामसिंह
- 4- किशुनलाल पुत्र श्री रामसिंह
- 5- सुमित्रा पुत्री श्री रामसिंह
- 6- सुधा पुत्री श्री रामसिंह
- 7- शारदा पुत्री श्री रामसिंह
- 8- गुलाब सिंह मृत द्वारा विधिक वारिसान
 - 1- मलखान पुत्र स्व श्री गुलाब सिंह
 - 2- हरिकिशोर पुत्र स्व श्री गुलाब सिंह
 - 3- भूरे पुत्र स्व श्री गुलाब सिंह
निवासीगण - हिनोतिया जिला-दतिया
(म.प्र.)
 - 4- लीला पुत्री स्व श्री गुलाब सिंह पत्नी प्रताप
सिंह निवासी - हिनोतिया हालनिवास
बिरगुवा तहसील बडागांव जिला-झांसी
(उ.प्र.)
 - 5- श्रीमती मिन्दा पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह
ससुर जगदीश यादव निवासी - हिनोतिया
हाल निवास टोडा करैरा जिला-शिवपुरी
(म.प्र.)
 - 6- श्रीमती शान्ती पत्नी कमल सिंह यादव
निवासी - दबरा शहरया तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक
73/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

3

09.2.16

9.2.16

09/02/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./523/दो/2016

जिला दतिया

दीप्ती विरूद्ध वीर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 73/2010-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 17/11/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 9/08/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(आस0के0 जैन)
सदस्य
17/6/19